विवरण–II

गुजरात में डाकघर वाले ग्राम पंचायतों की जिलावार संख्या

जिला	ग्राम पंचायतों की संख्या
1. अहमदाबाद	416
2. मेहसाना	538
3. गांधीनगर	52
4. साबर कांठा	553
5. बनासकांठा	430
6. अमरेली	280
7. जूनागढ़	473
8. कच्छ	438
9. राजकोट	426
10. पंचमहल	492
11. खैडा	550
12. बड़ोदरा	513
13. भड़ौंच	448
14. सूरत	533
15. वलसाद	469
16. भावनगर	411
17. जामनगर	473
18. डांग	54
19. सुरेन्द्र नगर	305
योग :	7854

विवरण–III

गुजरात में तार सुविधा सहित ग्राम पंचायतों का जिलेवार ब्यौरा।

क्रम सं०.	जिला	तार संयुक्त डाक तार घर वाली ग्राम पंचायतों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद (गांधी नगर सहित)	107
2.	अमरेली	103
3.	बनासकांठा (पालनपुर)	35
4.	भावनगर	70
5.	भड़ौंच	90
6.	जामनगर	84
7.	जूनागढ़	178
8.	खेड़ा (नादियाद)	169
9.	भुज (कच्छ)	75
10.	महेसाना	144
11.	पंचमहल (गोदडा)	120
12.	राजकोट	109
13.	सादरकांठा (हिम्मतनगर)	91
14.	सुरेन्द्रनगर	86
15.	सूरत	109
16.	बड़ोदरा	80
17.	वालसाद (डनोस सहित)	111
18.	संघ शासित राज्य (दादर, नागर हवेली, दमन और दीव)	9
	योग :	1770

मुम्बई महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्यक्षेत्र में कल्याण और डोंबिवली शहरों को शामिल करना

854. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल्याण और डोंबिवली शहरों को मुम्बई महानगर टेलीफोन निगम के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाने की मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

संचार मंत्रालय क राज्य मंत्री (श्री (सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) कल्याण तथा डोम्बीवली शहरों को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बंबई के कार्यकाल के अन्तर्गत शामिल करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों (व्यापार तथा उद्योग, राजनीतिक संगठनों आदि) से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) मांगों पर विचार करने के बाद यह पाया गया है कि कल्याण तथा डोम्बीवली शहरों को बंबई टेलीफोन प्रणाली के मौजूदा क्षेत्र में शामिल करना व्यवहार्य नहीं है।

बिहार में टेलीफोन के बकाया बिल

855. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार बिहार के मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों पर टेलीफोन बिलों की बकाया धनराशि कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या इस धन राशि की वसूली के लिए संचार विभाग ने कोई कड़ा कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री (सुखराम) : (क) 31 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार बिहार के मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों की ओर टेलीफोन बिलों की बकाया कुल रकम 1351 लाख रुपए है।

(ख) जी हां, बिहार के मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों की ओर टेलीफोन बिलों की बकाया रकम को वसूल करने के लिए दूरसंचार विभाग ने विभिन्न उपाय किए हैं।

(ग) दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा इस प्रकार से है :–

(i) टेलीफोन पर स्मरण कराया है और रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए हैं।

(ii) राजपत्रित अधिकारियों को बिलों की प्रतिलिपि देकर संबंधित व्यक्तियों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था।

(iii) बड़ी संख्या में टेलीफोन कनेक्शन काटे गए थे। तथापि, राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर उनमें से कुछ को पुनः चालू कर दिया गया था।

(iv) माननीय संचार राज्य मंत्री और मुख्य महाप्रबंधक (दूरसंचार) बिहार सर्किल पटना की ओर से क्रमशः बिहार के माननीय मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव को अर्धसरकारी पत्र भेजे गए हैं, जिनमें संदेय राशियों के भुगतान के बारे में शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध किया गया है।

इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्रों में स्थानीय टेलीफोन कालों की गणना

856. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े शहरों में स्थित इलैक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्रों में स्थानीय कालों के लिए पांच मिनट के समय की गणना करने संबंधी प्रक्रिया के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि स्थानीय कालों के बिलों के बारे में काफी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो ये शिकायतें किस किस्म की हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) प्रथम मीटरिंग उस समय शुरू होती है जब काल किए गए उपभोक्ता द्वारा उत्तर दिया जाता है। इसके बाद आगे की मीटरिंग 5 मिनट के अंतरालों पर होती हैं।